

रिपोर्ट पटवारी हस्ता/आर०एल०आर०
 आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

श्री/श्रीमती श्री हरिपुर के खाता क्रमांक 28 में कुल 6 पट गलतीतक 500
 जमीन का क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर है। (जिसमें 1000 वर्ग मीटर पटवारी द्वारा दर्ज है और 0 का
 क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है और 1000 वर्ग मीटर पटवारी द्वारा दर्ज है।) (पटवारी द्वारा दर्ज है।)

क्रमांक : राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की अभिशंका की जाती है/नहीं की जाती है।

उक्त नाम जाना उचित है

14/12/20
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुदागौडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

-- आदेश :-

दिनांक :- 14-12-20

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	हरिपुर	2075-78	28	गलतीतक 500	गलतीतक 500

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 14-12-20

क्रमांक :- राजस्व/2020/2234

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुदागौडजी को वारसी पालनाार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी